



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1188]

No. 1188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2012/आषाढ 1, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2012/ASADHA 1, 1934

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 जून, 2012

का.आ. 1417(अ).—केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 17 जनवरी, 2012 के आदेश सं. का.आ. 88(अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निदेश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि 30 जून, 2012 को समाप्त होने वाली उपरोक्त आदेश की वैधता का विस्तार उक्त आदेश को समाप्त की तारीख से तीन मास की अवधि अथवा आगामी आदेशों, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

सुजीत गुलाटी, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 17 जनवरी, 2012 के आदेश सं. का.आ. 88(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 22nd June, 2012

S.O. 1417(E).—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by order S.O. 88(E), dated the 17th January, 2012, regarding the commodities specified in column (2) of the Schedule of that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on 30th June, 2012 shall be extended for a further period of three months from the date of expiry of the said order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

SUJIT GULATI, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. No. 88(E), dated the 17th January, 2012.